भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4368

22 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

केरल में इस्पात उद्योग पर कोविड-19 का प्रभाव

4368. डॉ. शशि थरूर:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल राज्य की 25 इस्पात मिलों पर कोविड-19 का प्रभाव इसलिए अधिक पड़ा क्योंकि राज्य में विनिर्माण परियोजनाओं पर बरसात के मौसम से पूर्व मुख्यतया जनवरी से मई माह के दौरान काम किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है;

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) भारतीय इस्पात उद्योग पर इस महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए किए गए अल्पकालिक और दीर्घकालिक, दोनों, उपायों, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): अप्रैल, 2020 से जनवरी, 2021 और अप्रैल, 2019 से जनवरी, 2020 के दौरान केरल सहित विभिन्न राज्यों के संबंध में क्रूड इस्पात क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग का विवरण **अनुलग्नक** पर संलग्न है।

(ख) से (घ): कोविड-19 महामारी को देखते हुए, स्वदेशी इस्पात के उत्पादन, उपलब्धता तथा खपत को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

(i) इस्पात मंत्रालय ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान उद्योग संघों और घरेलू इस्पात उद्योग के अग्रणियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ कई बार विचार-विमर्श किए ताकि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ उनकी समस्याओं को उठाकर उनका निपटान किया जा सके। गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों से इस्पात

उत्पादन में पुनः तेजी लाने में सुविधा मिली है। इस्पात मंत्रालय ने देश में इस्पात की समग्र माँग को बढ़ाने के लिए संबंधित हितधारकों के साथ निम्नलिखित वेबिनारों का भी आयोजन किया है:

(क) तेल और गैस क्षेत्र, 16 जून 2020
(ख) इस्पाती इरादा: इस्पात के उपयोग को बढ़ाना, 30 जून 2020
(ग) आवासन और नागर विमानन क्षेत्र, 18 अगस्त 2020
(घ) कृषि, ग्रामीण विकास, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, 20 अक्टूबर, 2020

(ii) स्वदेशी रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति को संशोधित सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 के साथ संरेखित करने के उद्देश्य से 31 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना द्वारा उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है। न्यूनतम मूल्यवर्धन को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है तथा अब यह नीति 5 लाख रुपये से ऊपर की सभी खरीद के लिए लागू है एवं इसमें अन्य परिवर्तनों के साथ-साथ ईपीसी संविदाएं भी शामिल हैं।

(iii) देश में पूँजीगत निवेश को आकर्षित करने तथा विशेषीकृत इस्पात के उत्पादन में सहायता करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा हाल ही में घोषित उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत 'विशेषीकृत इस्पात' को शामिल किया गया है।

(iv) सरकार ने दिनांक 01.10.2020 की अधिसूचना के माध्यम से स्वदेशी इस्पात उत्पादकों द्वारा ईईपीसी के एमएसएमई सदस्यों को निर्यात समतुल्य मूल्य पर इस्पात की चार उत्पाद श्रेणियों (हॉट रोल्ड क्वायल, कोल्ड रोल्ड क्वायल, वायर रॉड्स एवं अलॉय स्टील बार्स) उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की है।

****

अनुलग्नक

क्रूड इस्पात: इकाइयों की संख्या, क्षमता और क्षमता उपयोग

राज्य	इकाइयों की संख्या	अप्रैल 2019- जनवरी 2020			अप्रैल 2020- जनवरी 2021*		
		क्षमता (हजार टन)	उत्पादन (हजार टन)	क्षमता उपयोग** (%)	क्षमता (हजार टन)	उत्पादन (हजार टन)	क्षमता उपयोग** (%)
आंध्र प्रदेश	27	8391	5356	77	8391	4513	65
अरुणाचल प्रदेश	3	125	28	27	125	0	0
असम	6	131	63	58	131	45	41
बिहार	15	803	470	70	803	370	55
छत्तीसगढ़	79	18785	11285	72	18785	10624	68
दादर व नगर हवेली	19	296	246	100	296	115	47
दमन और दीव	3	46	38	99	46	31	80
दिल्ली	2	16	11	79	16	8	58
गोवा	12	481	361	90	481	328	82
गुजरात	59	12754	7343	69	12754	6863	65
हरियाणा	10	953	588	74	953	570	72
हिमाचल प्रदेश	25	1139	759	80	1139	593	62
जम्मू और कश्मीर	8	189	97	61	189	95	60
झारखंड	45	19707	14287	87	19707	12676	77
कर्नाटक	29	15149	10689	85	15149	9548	76
केरल	29	480	264	66	480	195	49
मध्य प्रदेश	9	553	367	80	553	293	64
महाराष्ट्र	55	11961	6877	69	11961	6333	64
मेघालय	5	181	87	58	181	25	17
ओडिशा	53	25370	16814	80	25370	17398	82
पुदुचेरी	10	340	179	63	340	145	51
पंजाब	119	4924	2850	69	4924	2301	56
राजस्थान	36	1176	653	67	1176	471	48
तमिलनाडु	99	3766	2165	69	3766	1675	53
तेलंगाना	26	1443	979	81	1443	960	80
त्रिपुरा	1	30	11	44	30	6	24
उत्तर प्रदेश	46	1617	1038	77	1617	795	59
उत्तराखंड	42	1559	938	72	1559	756	58
पश्चिम बंगाल	42	9935	6762	82	9935	5577	67
कुल	**914**	**142299**	**91604**	**77**	**142299**	**83307**	**70**

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); *अनंतिम; **क्षमता उपयोग की यथानुपात आधार पर गणना की गई है।

****